होटल प्रबंध खान–पान तकनीकी एवं पोषण आहार संस्थान
एयरपोर्ट रोड, महाराजपुरा, ग्वालियर–474005
दूरभाष कमांकः 0751–2471477.
ईमैल ihmgwl@gmail.com

निविदा विज्ञप्ति

संस्था के छात्रावास में मय सामाग्री के खाना बनाने, परोसने एवं साफ सफाई की व्यवस्था एवं लेबर अनुबन्ध आधार पर फर्म एजेंसी से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म दिनांकः 30–05–2019 से संस्था वेब साईट www.ihmgwalior.net से डाउनलोड कर / कार्यालयीन समय में राशि रु.1000.00(Non-refundble)NEFT/RTGS या बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, होटल प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, निविदा फार्म दिनांकः 07–06–2019 समय 05:00 बजे तक जमा किये जा सकते है, निविदा खोलने के चरण निम्न तालीका अनुसार होंगे।

1. तकनीकी निविदा लिफाफ (निविदा की सामान्य शर्ते पृष्ठ कमांक 01 से 09 तक एवं सभी चाहे गये अभिलेखों के प्रमाण–पत्रों की प्रतिलिपि सहित संस्था में जमा किये गये राशि रु.1000.00 की रसीद की प्रतिलिपि संलग्न करे)।
2. वित्तीय निविदा लिफाफा (पृष्ठ कमांक 10 से 15 तक जिसमें वित्तीय नियंम एवं शर्ते तथा निविदा दाता फर्म जानकारी)।

नोट :– दोनो सीलबंद लिफाफे जिसमें प्रथम सीलबंद लिफाफे पर तकलीकी निविदा लिफाफा तथा द्वितीय सीलबंद लिफाफे पर वित्तीय निविदा लिफाफा सुस्पष्ठ लिखा होना चाहिये।

पहला चरण

दिनांकः 10–06–2019 दोपहर 04:00 बजे अपरान्ह निविदा दाताओं के समक्ष।

दूसरा चरण

(बेस/अधिकारीक किचन के निरीक्षण के सम्बंध में)
(केवल तकनीकी निविदा में निर्धारित समिति द्वारा चयनित फर्मो हेतू)

निरीक्षण की दिनांकः 12–06–2019 से दिनांकः 14–06–2019 तक

तीसरा चरण

(केवल बेस/अधिकारीक किचन के निरीक्षण पश्चात्/दूसरा चरण के चयनित निविदा दाताओं हेतू)

वित्तीय निविदा खोलने का दिनांकः 24–06–2019 दोपहर 03:30 बजे हुए निविदा दाताओं के समक्ष।

द्वितीय चरण में अस्वीकृत/असफल होने वाले निविदा दाताओं को उनकी वित्तीय निविदा को (बिना खोले हुए) लिफाफा, स्पीड–पोस्ट डाक द्वारा पंजीकृत पते पर लौटा दिया जाएगा।

ोट:– सभी पृष्ठो को पूर्णरूप में पढकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर अनिवार्यरूप (1)
से करे तथा अपनी निविदा फार्म के साथ संलग्न करे ।

निविदा की सामान्य शर्ते

1. मैस संचालन मे लगाए गये कर्मचारियो के सम्बंध में सभी शासकीय आदेशों का पालन
निविदा दाता को करना होगा । इसमें ईपीएफ, ईएस आई , न्यूनतम पारीश्रमिक, वर्दी
एवं अन्य कल्याणकारी सुविधाए उपलब्ध करवानी होगी इसी कम में मैस में लगाये गए
कर्मचारियों का पुनः वेरीफिकेशन एवमं मेडीकल करवाकर संस्था में जमा करवाना
होगा।
2. वित्तीय निविदा इस दस्तावेज के साथ संलग्न मैनु तथा शर्तो को ध्यान में रखकर
प्रस्तुत की जानी चाहिए । सामान्तः छात्र सप्ताह मे पांच दिन दोपहर का भोजन संस्था
में ही खाते है । परन्तु अवकाश / परीक्षा के समय मैस मे ही भोजन करते है।
(सामान्यतः सप्ताह में एक दिन की औसत से)
3. वर्ष में औसत दस माह छात्र छात्रा वास में रहते है अतः किसी भी प्रकार का देयक
केवल वर्ष में दस माह छात्रावास चालु रहने की अवस्था हेतू ही मान्य किया जावेगा।
4. अनुबंध को किसी अन्य फर्म को हस्तातंरित नही किया जा सकेगा न ही किसी
पेटी–ठेकेदार द्वारा काम कराया जाएगा ।
5. मैनु को मौसमानुरूप बदलने का अधिकार मैस समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।
6. निविदा कर्ता की इच्छानुसार दोनो छात्रावासो हेतू भोजन एक छात्रावास के किचन मै
तैयार कर दूसरे छात्रावास के डाईनिंग रूम में ले जाकर परोसा जा सकेगा। दोनो
डाइनिंग रूम की सफाई एवं सामान्य रख रखाव की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी
।
7. मैस मे लगाए गए कर्मचारियो के आचरण एवम व्यवहार की जिम्मेदारी मैस सेवा
प्रदायकर्ता फर्म की होगी किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत होने पर संस्था द्वारा
उसे तुरन्त प्रभाव से मैस सेवा प्रदायकर्ता द्वारा अन्यत्र बदली करना होगा ।
8. कर्मचारियो को यूनीफार्म मैस सेवा प्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध करवानी होगी तथा
उसका रखरखाव एवम सफाई कर्मचारी / मैस सेवा प्रदायकर्ता की जिम्मेदारी होगी ।
9. यह अनुबंध दो वर्ष के लिए मान्य होगा तथा इसे आपसी सहमति से एक–एक वर्ष हेतु
बढाया जा सकेगा । प्रत्येक वर्ष उपरांत सामग्री के बाजार–भाव एवंम कलेंक्टर लेबर
रेट की समिति द्वारा समीक्षा कर अनुशंसा अनुरूप वार्षिक रूप से अधिकतम 9 प्रतिशत
तक पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

10. संस्था द्वारा वर्तमान में किचिन में उपलब्ध बर्तन/उपकरण संस्था द्वारा प्रदाय किये जायेगें जिसका रखरखाव निविदांदाता स्वीकृत फर्म को ही करना होगा , यदि उपकरण /बर्तन में टूटफूट होगी तो उसको दुरूस्त/ठीक करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी । किसी भी टूट फूट की भरपाई संस्थान द्वारा सेवा प्रदायकर्ता के मासिक देयक या धरोहर राशि से काट कर वसूल की जाएगी ।
11. मैस मे प्रयोग होने वाली सामाग्री संलग्न सूची अनुसार ही प्रयोग की जानी चाहिए।
12. निविदा दाता फर्म द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार यदि किसी अतिरिक्त बर्तन/उपकरण की आवश्यकता हो तो उसकी स्वयं व्यवस्था करनी होगी एवं इस सम्बंध में संस्था प्रमुख से/वार्डन मार्फत विधिवत् मंजूरी लेनी होगी।
13. संस्था मैस में खाना बनाने के सम्बंध में उपयोग में होने वाले ईधन रसोई गैस होगा जिसके सिलेण्डर की पूर्ण व्यवस्था निविदां दाता फर्म को करनी होगी ।
14. संस्था द्वारा पानी एवं बिजली उपलब्ध करवाई जायेगी यदि बिजली प्रवाह अवरूद्व है किचिंन एवं डाइनिंग हाल में प्रकाश कीं वेकल्पिक व्यवस्था करते हुए छात्रों हेतू समयानुसार ,खाना परोसना होगा ।
15. होस्टल मैस में निविदा दाता फर्म द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को संस्था परिसर में नहाने एवं रहने की अनुमति नही दी जायेगी ।
16. छात्रावास मैस में निविदा दाता फर्म कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति पहुचायी जाती है तो उसकी भरपाई निविदा दाता फर्म को करनी होगी ।
17 निविदा दाता फर्म को लगाये गये कर्मचारियों को परिचय पत्र बनाकर देने होगें जिसके लिये संस्था द्वारा कोई व्यय नही दिया जायेगा एवं छात्रावास मैस में कार्य करते समय कर्मियों को हर समय साथ में परिचयपत्र रखना अनिवार्य होगा। किसी भी अन्य व्यक्ति को छात्रावास में अन्दर जाने की अनुमति नही दी जावेगी ।
18. छात्रावास वार्डन द्वारा छात्रों की बताई गई संख्या के अनुसार ही खाने की व्यवस्था करनी होगी ।
19. यदि कोई विघ्यार्थी सेमेस्टर के किसी भी माह के बीच में होस्टल छोड़ता है तो प्रत्येक सेमेस्टर पश्चात् या बीच में भी विघ्यार्थी की संख्या घट–बड सकती है। उसकी धनराशि/कम कर विघ्यार्थियो की वास्तविक संख्या का देयक पास किया जायेगा।
20. किसी भी बाहरी छात्र/स्टाफ को जो छात्रावास में नही रह रहे हो, विना वार्डन की अनुमति के खाना खिलाने की अनुमति नही होगी ।
21. कच्ची सामग्री (प्रोविजन/नॉन पेरिशेवल सामग्री) का भण्डार मात्र 15 दिन के लिये करना होगा जिसके लिये एक स्टोररूम दिया जायेगा ।
22. हरी सॉग सब्जी एवं फल आदि, मासाहारी आईटम,अण्डे,दूध,डेयरी इत्यादि सभी (पेरिशेवल सामग्रीयॉ) एवं सम्बधिंत ताजी सामग्री प्रतिदिन लानी होगी ।